

उत्तर प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग,
संख्या -6/2019/877/45 वि-2019-195 प्रा0/1977
लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2019

अधिमूचना

उत्तर प्रदेश स्टेट कौंसिल आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी (कन्डक्ट आफ विजनेस) रूलम्-1976 के नियम-8(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के प्रशासन एवं प्रबंध हेतु अधिमूचना सं0-345/45वि-2015-195प्रा0/1977टी0मी0, दिनांक 26.03.2015 द्वारा तीन वर्ष के लिए परिषद की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

2. उक्त अधिमूचना को अवकमित करते हुए अब श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नवत् करने की महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा:-

क्र.सं.	नामित पदधारक	पदनाम
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन/ महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र., लखनऊ।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिकी विकास, उ.प्र. शासन अथवा उनके प्रतिनिधि (जो विशेष सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हो)	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन अथवा उनके प्रतिनिधि (जो विशेष सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हो)	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन अथवा उनके प्रतिनिधि (जो विशेष सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हो)	सदस्य
5	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
7	विशेष सचिव, विद्युत एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन/ निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र., लखनऊ।	सदस्य
8	निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (आई.ई.टी.), सीतापुर रोड, लखनऊ।	सदस्य
9	कुलपति, के.जी. मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।	सदस्य
10	निदेशक, एम0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
11	निदेशक, औपधि एवं मंगथ पौधा संस्थान कुकरेल रोड, पिकनिक स्पॉट के पास, लखनऊ।	सदस्य
12	निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आई.आई.टी.आर.) लखनऊ।	सदस्य
13	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र., लखनऊ।	सदस्य सचिव

डा0 वेदपति मिश्र
विशेष सचिव

कमश पृष्ठ-2/-

- 1- यत्र शासनदेश इनेकट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से न्यापित की जा सकती है।

संख्या-6/2019/877(1)/45 वि-2019-195 प्रा0/1977 तद्विनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कार्यकारिणी के अध्यक्ष/समस्त सदस्यगण।
- ✓ 2. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना की प्रतिभर्षी सदस्यगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञासे

(कृपा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

19.8.2019

S Comp 18

D-comp-04

16/08/19

16-08-2019

[Handwritten signature]

उत्तर प्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग,
संख्या- 620/45वि/2019-195प्रा./1977
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2019

अधिसूचना

यू0पी0 स्टेट काउंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (कन्डक्ट आफ बिजनेस) रूल्स-1976 के नियम-3(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के प्रशासन एवं प्रबन्ध हेतु सामान्य सभा का गठन अधिसूचना संख्या-42/45वि/2019-195प्रा./1977 दिनांक 19.06.2019 द्वारा गठन की तिथि से 03 वर्ष के लिये किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रमांक-20 पर अंकित राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधियों के वर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की सामान्य सभा का सदस्य नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. तदनुसार अधिसूचना संख्या-42/45वि/2019-195प्रा./1977 दिनांक 19.06.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा/पढ़ा जाय।

डा0 वेदपति मिश्र
विशेष सचिव

संख्या- 620(1)/45वि/2019-195प्रा/1977 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, ना0 उप मुख्यमंत्री (डा0 दिनेश शर्मा) उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन-कम-महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
10. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर।
12. निदेशक, आई0आई0टी0, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
13. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
14. निदेशक, संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, लखनऊ।
15. प्राचार्य/निदेशक, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
16. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
18. विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान, फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली।
19. वैज्ञानिक-ई, एस0 एण्ड टी0 विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।
20. विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाजी विभाग, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ।
21. निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ।
22. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
23. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
24. कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

[Handwritten signature]

16-8-2019

(डा0 वेदपति मिश्र)

निदेशक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
उ0प्र0 लखनऊ

AC

[Handwritten signature]

16/08/19

25. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
26. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
27. कुलपति, नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
28. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
29. कुलपति, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ।
30. कुलपति, शकुन्तला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
31. कुलपति, महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
32. कुलपति, पं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
33. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मेरठ।
34. कुलपति, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
35. कुलपति, अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, (ए0के0टी0यू0), लखनऊ।
36. कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित।
37. कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित।
38. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।
39. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, अनुसंधान भवन-2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा उनके द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।
40. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, कृषि भवन-2, डा.राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा उनके द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।
41. प्रेसीडेन्ट, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, आई.आई.ए.भवन, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।
42. निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान।
43. निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
44. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टाक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, लखनऊ।
45. निदेशक, औषधि एवं सगन्ध पौधा संस्थान (सीमैप), कुकरैल रोड, पिकनिक स्पॉट के पास, लखनऊ।
46. निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली।
47. निदेशक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी।
48. निदेशक, बेसिक साइंस, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर।
49. निदेशक, सी.आई.एस.एच., लखनऊ।
50. हेड, जे.के. इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नालॉजी, प्रयागराज।
51. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, लखनऊ।
52. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ✓ 53. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र संख्या- सीएसटी/डी-4097 दिनांक 09.01.2019 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति सभी सदस्यगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
54. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
55. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 वेदपति मिश्र)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग,
संख्या-42/45वि/2019-195प्रा./1977
लखनऊ: दिनांक: 19 जून, 2019

अधिसूचना

यू0पी0 स्टेट काउंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (कन्डक्ट आफ बिजनेस) रूल्स-1976 के नियम-3(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के प्रशासन एवं प्रबन्ध हेतु सामान्य सभा का गठन अधिसूचना संख्या-901/45वि/2016-6(61)वि/2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा गठन की तिथि से 03 वर्ष के लिये किया गया था।

2. उक्त अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए अब श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की सामान्य सभा का गठन निम्नवत् करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा:-

1.	मा.मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 सरकार	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन-कम-महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र.	सदस्य-सचिव
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिकी विकास, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से कम न हो।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से कम न हो।	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से कम न हो।	सदस्य
7.	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ/ यदि प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के पास अध्यक्ष के पद का कार्यभार हो तो उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से कम न हो।	सदस्य
8.	निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रयागराज	सदस्य
9.	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी के दो प्रतिनिधि 1. निदेशक, आई.आई.टी, कानपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि 2. निदेशक, आई.आई.टी. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	उत्तर प्रदेश की मेडिकल संस्थानों के मेडिसिन विभाग के तीन प्रतिनिधि:- 1. के.जी.एम.यू. के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित 2. एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस. के निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित 3. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूटी लखनऊ, के प्राचार्य/निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

सचिव

20-6-2019
(अन्तिम दिनांक)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
लखनऊ

AO

20/06/19

11.	कृषि विभाग का प्रतिनिधि:- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के स्तर से कम न हो।	सदस्य
12.	सामान्य विज्ञान के पाँच प्रतिनिधि:- 1. विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 2. विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान, फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली। 3. वैज्ञानिक-ई, एस0 एण्ड टी0 विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार 4. विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाजी विभाग, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ। 5. निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ	सदस्य
13.	राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के चौदह प्रतिनिधि 1. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ। 2. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। 3. कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर। 4. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर। 5. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी। 6. कुलपति, नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, फैजाबाद। 7. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर। 8. कुलपति, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ। 9. कुलपति, शकुन्तला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ। 10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली। 11. कुलपति, पं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर। 12. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मेरठ। 13. कुलपति, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। 14. कुलपति, अब्दुल कलाम प्राग्धिक विश्वविद्यालय, (ए0के0टी0यू0), लखनऊ	सदस्य
14.	राज्य में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि:- 1. कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित 2. कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
15.	भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि:- सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।	सदस्य
16.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि: महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, अनुसंधान भवन-2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा उनके द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य

17.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि:- महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, कृषि भवन-2, डा.राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा उनके द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	उद्योगपतियों के दो प्रतिनिधि: प्रेसीडेन्ट, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, आई.आई.ए.भवन, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
19.	प्रख्यात वैज्ञानिकों को सम्मिलित करते हुये केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं के दस प्रतिनिधि:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। 2. निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। 3. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टाक्सिकोलाजिकल रिसर्च, लखनऊ। 4. निदेशक, औषधि एवं सगन्ध पौधा संस्थान (सीमैप), कुकरैल रोड, पिकनिक स्पॉट के पास, लखनऊ। 5. निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली। 6. निदेशक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झॉंसी। 7. निदेशक, बेसिक साइंस, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर। 8. निदेशक, सी.आई.एस.एच., लखनऊ 9. हेड, जे.के. इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नालोजी, प्रयागराज। 10. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शुगरकेन रिसर्च, लखनऊ।	सदस्य
20.	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त पाये गये अन्य प्रतिनिधि:- "प्रतिनिधियों का नामांकन यथासमय किया गया जायेगा।"	सदस्य

अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव

संख्या-42(1)/45वि/2019-195प्रा/1977 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री (डा0 दिनेश शर्मा) उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन-कम-महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
10. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, ~~लखनऊ~~ प्रयागराज।
11. निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर।
12. निदेशक, आई0टी0, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
13. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

14. निदेशक, संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, लखनऊ।
15. प्राचार्य/निदेशक, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
16. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
18. विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान, फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली।
19. वैज्ञानिक-ई, एस0 एण्ड टी0 विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।
20. विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाजी विभाग, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ।
21. निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ।
22. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
23. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
24. कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
25. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
26. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
27. कुलपति, नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
28. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
29. कुलपति, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ।
30. कुलपति, शकुन्तला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
31. कुलपति, महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
32. कुलपति, पं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
33. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मेरठ।
34. कुलपति, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
35. कुलपति, अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, (ए0के0टी0यू0), लखनऊ।
36. कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित।
37. कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित।
38. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।
39. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, अनुसंधान भवन-2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा उनके द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।
40. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, कृषि भवन-2, डा.राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001 अथवा उनके द्वारा नामित निदेशक से अनिम्न स्तर के प्रतिनिधि।
41. प्रेसीडेन्ट, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, आई.आई.ए.भवन, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।
42. निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान।
43. निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
44. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टाक्सिकोलाजिकल रिसर्च, लखनऊ।
45. निदेशक, औषधि एवं सगन्ध पौधा संस्थान (सीमैप), कुकरैल रोड, पिकनिक स्पॉट के पास, लखनऊ।
46. निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली।
47. निदेशक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी।
48. निदेशक, बेसिक साइंस, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर।
49. निदेशक, सी.आई.एस.एच., लखनऊ

50. हेड, जे.के. इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नालोजी, प्रयागराज।


51. निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शुगरकेन रिसर्च, लखनऊ।

52. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

✓ 53. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र संख्या- सीएसटी/डी-4097 दिनांक 09.01.2019 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति सभी सदस्यगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

54. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(कृपा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

